न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या 13/2021 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0 2021/134

1. विद्या देवी पत्नि स्वर्गीय श्री मोहनलाल जाति माली निवासी मकान नम्बर–677, महावीर नगर सेकण्ड कोटा राज0
2. दीपम पुत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल पत्नि श्री रामस्वरूप सुमन जाति माली निवासी महर्षि दयानन्द सरस्वती स्कूल ग्राम व पोस्ट पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड
3. प्रभा पुत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल जाति माली
4. सीमा पुत्रवधु स्वर्गीय श्री मोहनलाल जाति माली
5. कुनाल पुत्र स्वर्गीय श्री सुनील जरिये संरक्षक माता–सीमा निवासीगण मकान नम्बर–677 महावीर नगर सेकण्ड कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना क्रियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

––रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री विकास सोनी, श्री दिलदार सिंह अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1680 की 1.5930 हे0, भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 06.07.2020 जारी किया गया ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2021 को श्री मनोज कुमार मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री दिलदार सिंह उपस्थित । उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब एवं बहस में कथन किया है कि सभी प्रकरणों में एक ही लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग–148 एन दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के निमार्ण के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सम्पन्न कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी को दिनांक

जिला कलेक्टर
कोटा

6.6.2018 को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया । सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148 एन के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारंभ किये जाने से पूर्व धारा 4 के अनुसार सामाजिक समाघात (Social Impact Assessment study) तैयार किया जाना आवश्यक था इससे यह पता चलता कि भूमि अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है या नहीं , तथा कृषको के हितों पर पने वाले प्रभाव के बारे में विस्तृत व्याख्या होती । इस सम्बन्ध में अधिनिर्णय आदेश दिनांक 6.7.2020 में एक शब्द भी वर्णन नहीं है और ना ही धारा 5 के तहत सक्षम प्राधिकारी महो0 द्वारा समाघात निर्धारण के लोक सुनवाई का वर्णन है । भूमि अवाप्ति अधिकारी /सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय आदेश दिनांक 6.7.2020 पारित करते समय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवसीपन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 की व्याख्या त्रुटिपूर्ण रीति से की गई जससे प्रार्थी की प्रतिकर की रकम कम हुई है । भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय आदेश में परियोजना में अवाप्त की जाने वाली भूमि की शहरी क्षैत्र से दूरी किस रीति नीति से मापी है अंकन नहीं किया है, पूरे अधिनिर्णय में यह कही भी वर्णित नहीं है कि परियोजना में अवाप्त की गई भूमि चेचट की दूरी किस आधार पर माप कर अधिनिर्णय आदेश में अंकन किया गया । ग्राम चेचट की अवाप्तसुदा भूमि की दूरी की शहरी क्षैत्र से हवाई दूरी 10 किलोमीटर से अधिक व 20 किलोमीटर तक मानने के सम्बन्ध में उक्त अधिनिर्णय में कोई दस्तावेज /आधार नहीं है । भूमि अर्जर पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 की उपधारा (2) के साथ पठित प्रथम अनुसूची की कम संख्या–2 के कॉलम संख्या–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियें का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षैत्र में जिस गुणक द्वारा बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है वह गुणक 2.00 होगा । उक्त अधिसूचना में shall शब्द का प्रयोग किया है । उक्त अधिसूचना दिनांक 9.2.2016 आज दिनांक तक प्रभावशील है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवसीपन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 113 के अनुसार उक्त कानून के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्र सरकार ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे नर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते है परन्तु ऐसे किसी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम के प्रारंभ से दौ वर्षो की अवधि के पश्चात नहीं किया जावेगा । उक्त अधिनियम 1.1.2014 से प्रभावशील है व दो वर्षो की अवधि 1.1.2016 तक ही केन्द्र सरकार उक्त धारा का प्रयोग कठिनाई को दूर करने हेतु कर सकती है परन्तु अधिसूचना दिनांक 9.2.2016 उक्त अवधि से बाहर होने के कारण केन्द्र सरकार /मनस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज उक्त अधिसूचना में पत्र दिनांक 8.8. 2016 से न तो परिवर्तन /संशोधन/निर्वचन ओर न ही मनमाना विवेचन कर सकती है । अतः लिखित बहस श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अधिनिर्णय दिनांक 6.7.2020 को लिखित बिन्दुओं के आधार पर संशोधित करने का आदेश प्रदान करें ।

4. अप्रार्थी नं0 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस में कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण अनुरक्षण प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (अ) की उपधारा (1)अ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवतन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 3567 (अ) दिनांक 30.9. 2019 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 1.10.2019 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 1.10.2019 को प्रकाशित की गयी । जसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में दिनांक 20.10.2019 को किया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया । 3A के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां सक्षम

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है । धारा 3–सी के अन्तर्गत आपत्तियों प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया । धारा 3–सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 4496(अ) दिनांक 16.12.2019 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 17.12.2019 को प्रकाशित की गयी । उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि खसरा नम्बर 1680 की 1.593 हैक्टेयर माल द्वितीय निजी खातेदार मोहनलाल पुत्र रामसुख हि0 पूर्ण जाति माली वाके ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी सम्मिलित है जो केन्द्रय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत, अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 1680 की 1.593 हेक्टेयर माल द्वितीय की अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3–जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति अन, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर की गई । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–एच(1) के तहत अवार्ड की राशिका भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दिया है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–क की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों के औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी एल सी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया । (RFCTLARR) की धारा–26 की उपधारा–2 के अनुसार बाजार मूल्य पर गुणांक कारक के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना सं0 प.1(3)राज 6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.6.2016 द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थपन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधनियम 2013 की धारा 26 की उपधारा–2 सपठित प्रथम अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना कमांक प1(3)राज6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए ग्रामीण क्षैत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षैत्र की सीमा से अवाप्त हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया । 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण वृद्वि की जाकर निष्मानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया । सक्षम प्राधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 1680 की 1.593 हैक्टेयर माल द्वितीय निजी खातेदार मोहनलाल पुत्र रामसुख हि0 पूर्ण जाति माली वाके ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी कोटा में स्थित अवाप्तसुदा भूमि की मुआवजा राशि विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों के औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए अवार्ड कमांक 1095 दिनांक 5.7.2020 को निर्धारित की गई है । अतः सक्षम प्राधिकारी (भूमि

जिला कलेक्टर
कोटा

अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में जो अवार्ड पारित किया गया था वह सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम चेचट के ख0नं0 1680 की 1.593 हे0 उक्त 8 लेन परियोजना (भारतमाला) में अवाप्ति हेतु एवार्ड पारित कर दिया गया । कृषि भूमि का मुआवजा अवार्ड दिनांक 06.07.2020 से प्रतिपक्षी नं0 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा वक्त अवाप्ति अधिसूचना 3ए की प्रचलित डीएलसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है तथा अवाप्त भूमि शहरी क्षैत्र से दूरी अनुसार गणना हेतु अधिसूचना कमांक प1(3)राज6/ 2011/ पार्ट/13 दिनांक 16.10. 2014 अनुसार कारक का प्रयोग किया गया है प्रकरण के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा तय किया गया है वह RFCTLARR ACT 2013 के तहत ही तय किया गया है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड आदेश अनुसार भूमि का मुआवजा 3ए के समय प्रचलित डीएलसी दर से भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है तथा सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई है एवं प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही मुआवजा निर्धारण किया गया है, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थीगणों के द्वारा प्रस्तुत सभी आपत्तियों का विधिवत निस्तारण किया गया । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

6. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत तथ्य एवं कारण पर्याप्त आधार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 21.6.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना) 21/06/2022
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा